न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 118/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/147**
दायर दिनांक :– 30.12.2021 **निर्णय दिनांक :– 30.07.2025**

1. भैरूसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. कंवराजसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. शोभसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति रापजूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. मेराजसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
4. खेमाराम पुत्र अनोपाराम जाति कुम्हार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
5. नारायणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 55–14 बीघा ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी व काश्त भूमि खसरा नम्बर 58/1 रकबा 57–08 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी व काश्त की भूमि खसरा नम्बर 58/2 रकबा 25–13 बीघा ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में आई हुई है। वादगस्त भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 55–14 बीघा भूमि में प्रार्थीगण का स्वतंत्र कब्जा व काश्त चला आरहा है जिसमें प्रार्थीगण अपनी–अपनी रहवासीय ढाणियां, पशुओं के बज्ञड़े बना कर अपने–अपने परिवार के साथ रहवास करते एवं फसल काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि प्रार्थीगण भैरूसिंह का नलकूप भी खुदा हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त कब्जा काश्त भूमि पर आज तक

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

किसी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन राजस्व वाद संख्या 123/18 के जरिये डिक्री दिनांक 19.02.1985 को पूर्व खातेदार उदयसिंह, खींवसिंह, गिरधारीसिंह के मध्य किया जाकर अलग-अलग बट्टा नम्बर दर्ज किये गये। जिसका नामान्तरकरण संख्या 299 मौजा दुर्जनी भरा जाकर स्वीकृत किया गया। बंटवाडा डिक्री का नामान्तरकरण भर कर नामान्तरकरण की पुश्त के पीछे नजरी नक्शा नहीं बनाया गया तथा न ही लट्ठा नक्शा में तरमीम की जाने से नक्शा लट्ठा सम्पूर्ण भूमि सामलाती रह गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 वर्तमान में ऑनलाईन की जा रही तरमीम में हल्का पटवारी से मिलावट कर सरासर फर्जी तरीके से बिना किसी प्रकार की विधि प्रकिया अपनाये एं प्रार्थीगण को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये कब्जा काश्त के विपरित की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपने कब्जा में मार्क ए बी सीडी अनुसार पुनः तरमीम करवाने के अधिकारी है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त भूमि में चले आ रहे प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की और से करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 4 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि पूर्व खातेदार उदयसिंह, खींवसिंह, गिरधारीसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 58 रकबा 138-15 बीघा स्थित थी। पूर्व खातेदारों द्वारा जरिये डिक्री वादग्रस्त भूमि का विभाजन राजस्व वाद संख्या 123/2018 के जरिये डिक्री दिनांक 19.02.1985 को किया गया। जिसे अलग-अलग बट्टा नम्बर दर्ज किये गये। वर्तमान भू-नक्शा में अलग-अलग बट्टा नम्बर अनुसार

सहायक कलक्टर

तरमीम दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व में लट्ठा नक्शा में तरमीम दर्ज थी या नहीं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वर्तमान तरमीम कब्जा काश्त अनुसार है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जाना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम अलग–अलग बट्टा नम्बरान् की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपभोग व उपयोग से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.12.2021 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30/7/25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)